

**उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर**

**// आदेश //**

कमांक <sup>1646</sup>...../चार-9-70/15


जबलपुर, दिनांक <sup>19</sup>...../03/2021

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 2446/21-ब (एक) दिनांक 15.04.2019 एवं क्रमांक 2109/2018/21-ब(एक) दिनांक 28.04.2018 में दिये गये स्पष्टीकरण के परिपेक्ष्य में श्री हरिशंकर वैश्य, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी (वर्तमान में सेवा निवृत्त) का चयनग्रेड वेतनमान एवं सुपर समय वेतनमान में रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए/2603 दिनांक 19.08.2010 एवं क्रमांक डी/3820 दिनांक 26.08.2013 को किये गये वेतन निर्धारण को एतद् द्वारा पुनरीक्षित किया जाता है:-

चयनग्रेड वेतनमान 57700-1230-58930- 1380-67210-1540- 70290/- में नियुक्ति का दिनांक	नियुक्ति दि० को एंट्री वेतन 51550-1230-58930-1380 -63070/- में प्राप्त वेतन व दि० व चयन ग्रेड वे०मा० आगामी वे०वृ० का दिनांक	सुपर समय वेतनमान रूपये 70290-1540- 6450/- में नियुक्ति का दिनांक	नियुक्ति दिनांक को चयनग्रेड वेतनमान में प्राप्त वेतन व दि० व आगामी वे०वृ० का दि०	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.
26.02.2006	<u>61690.00</u> 01.01.2006 (पुनरीक्षित) 31.05.2006 31.05.2007 31.05.2008 31.05.2009 31.05.2010	<b>01.04.2013</b>	<b>70290.00</b> <b>31.05.2010</b> 02.04.2013 02.04.2014 02.04.2015	63070.00  64450.00 65830.00 67210.00 68750.00 70290.00 <b>71830.00</b> 73370.00 74910.00 76450.00	26.02.2006  01.05.2006 01.05.2007 01.05.2008 01.05.2009 01.05.2010 <b>01.04.2013</b> 02.04.2013 01.04.2014 01.04.2015

दिनांक 31.10.2016 को सेवानिवृत्त

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,


  
(अजय पवार)  
रजिस्ट्रार(एम)

पृष्ठांकन क्रमांक...1647.../ चार-9-70/15  
प्रतिलिपि:-

जबलपुर, दिनांक...19/03/2021

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर/रीवा/पन्ना/शहडोल/डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. श्री हरिशंकर वैश्य, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नि.सी.-14, दलवी नगर, गुना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. सहायक(पेंशन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2018/368 दिनांक 01.03.2018 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

  
12. 3.2021  
रजिस्ट्रार (एम)

डेमन